**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-274**

**जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम**

***274. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऊर्जा संरक्षण के संबंध में देश का कार्य-निष्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने से कितनी सफलता मिली है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (घ) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**********

**<u>विवरण</u>**

**"ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम" के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 274 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**********

**(क) और (ख) :** ऊर्जा संरक्षण के संबंध में भारत का कार्य-निष्पादन विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 से 2020 तक की अवधि के दौरान भारत की औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग 2.4% रही है, जबकि इसी अवधि में मेगा जूल/यूएसडी (2015 क्रय शक्ति समता) के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता सुधार की वैश्विक औसत दर केवल 1.4% थी।

**(ग) और (घ) :** सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण संबंधी प्रमुख कार्यक्रम, निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार, उपकरणों की मानक और लेबलिंग स्कीम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला) स्कीम, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना आदि हैं। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

विभिन्न ऊर्जा दक्षता स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से 50.81 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) की कुल ऊर्जा बचत हुई है, जो वर्ष 2022-23 के लिए देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 6.87% है, जो वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 1,88,000 करोड़ रुपये की मौद्रिक बचत और CO2 उत्सर्जनों में 307 मिलियन टन (लगभग) की कमी को दर्शाता है।

**********

**अनुबंध**

**"ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम" के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) एवं (घ) में उल्लिखित अनुबंध।**

*************

क्रियान्वित किये जा रहे ऊर्जा संरक्षण संबंधी प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं-

i. **निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापारः** बड़े ऊर्जा गहन क्षेत्रों के संबंध में, सरकार निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम में अक्टूबर, 2023 तक 13 क्षेत्रों से 1333 इकाइयों को कवर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 25.9 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है, जिससे वार्षिक रूप से लगभग 110.67 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सका है।

ii. **मानक तथा लेबलिंग स्कीमः** उपकरण क्षेत्र में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की मानक तथा लेबलिंग (एसएंडएल) स्कीम उपकरणों/उपस्करों के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्य-निष्पादन मानदंड निर्धारित करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रमुख ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को सबसे दक्ष उपकरण के रूप में 5 स्टार के साथ 1 से 5 तक स्टार रेटिंग दी जाती है। स्टार लेबल के आधार पर, उपभोक्ता को ऊर्जा कुशल उपकरणों की खरीद के संबंध में सूचित विकल्प चुनने की सुविधा प्राप्त होती है जिससे विद्युत की खपत में बचत होती है। अक्टूबर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम में एस एंड एल कार्यक्रम के अंतर्गत 35 उपकरण शामिल हैं। वर्ष 2022-23 में, इस स्कीम से 81.6 बिलियन यूनिट विद्युत की बचत और 49,017 करोड़ रुपये की लागत की बचत हुई है।

iii. **उन्नत ज्योति बाए अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला):** इस स्कीम के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा इसकी शुरुआत से लेकर अब तक वितरित ऊर्जा दक्ष एवं किफायती एलईडी बल्बों तथा एलईडी ट्यूब लाइटों की कुल संख्या क्रमशः 36.87 करोड़ और 72.19 लाख है। उजाला स्कीम के परिणामस्वरूप एलईडी उद्योग में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे वार्षिक रूप से लगभग 70 करोड़ एलईडी बल्ब का बाजार सृजित हो सका है। इससे वर्ष 2015 में उजाला स्कीम की शुरुआत के बाद से मार्च, 2023 तक 419 करोड़ एलईडी बल्बों और 151 करोड़ एलईडी ट्यूब लाइटों का संचयी वितरण हुआ है। इस पहल के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 176.19 बिलियन यूनिट विद्युत की अनुमानित बचत और प्रति वर्ष 70,477 करोड़ रुपये की लागत बचत हुई है।

iv. ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भवन क्षेत्र को मोटे तौर पर वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक भवनों के लिए वर्ष 2017 में अद्यतित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का शुभारंभ किया गया था। इको-निवास संहिता (ईएनएस) आवासीय क्षेत्र से संबंधित है, और इसे प्राथमिकता पर शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ईसीबीसी का प्रकाशन किया गया है। अक्तूबर 2023 तक, ऐसे 24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय जलवायु परिस्थितियों के आधार पर ईसीबीसी को अधिसूचित किया है।

v. परिवहन क्षेत्र में, कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों में प्रोत्साहन के साथ-साथ पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों में दक्षता में सुधार करना; विद्युत गतिशीलता को अपनाना; और रेलवे में मोडल शिफ्ट शामिल है।

***********